कार्यालय नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0, लखनऊ

गौपालकों के लिए खुशखबरी! नन्द बाबा दुग्ध मिशन की सौगात!

मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की इकाई स्थापना हेतु अधिकतम रू0 11.80 लाख का अनुदान दो चरणों में प्राप्त करने का अवसर।

योजना के मुख्य बिन्दु–

- यह योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में लागू है।
- लाभार्थी अंश 15 प्रतिशत, बैंक ऋण 35 प्रतिशत तथा इकाई लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान।
- साहिवाल, गिर, एवं थारपारकर प्रजाति की 10 गाय की परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू0 23.60 लाख होगी।
- गाय का क्रय प्रदेश के बाहर से यथासंभव ब्रिडिंग ट्रैक्ट से लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।
- क्रय की जाने वाली गाय प्रथम या द्वितीय ब्यॉत की होनी चाहिए तथा गौवंश डेढ़ माह से पूर्व ब्याये न हों।
- इकाई स्थापना हेतु लगभग 0.20 एकड़ (8712 वर्ग फुट) भूमि तथा चारा उत्पादन हेतु 0.80 एकड़ (34848 वर्ग फुट) भूमि अनिवार्य, भूमि स्वयं की अथवा पैतृक अथवा न्यूनतम 07 वर्षों के लिए अनुबन्ध/किरायेनामे पर ली गयी हो।
- पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु योजना अथवा नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत संचालित नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना अथवा मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ–संवर्धन योजना के लाभार्थी, इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगें।

इस योजना के सम्बन्ध में आवेदन नन्द बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल https://nandbabadugdhmission.up.gov.in पर ऑनलाईन आमंत्रित किया जायेगा। योजना के सम्बन्ध में विवरण उक्त पोर्टल पर उपलब्ध है। योजना की अधिक जानकारी के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालयों से सम्पर्क किया जा सकता है।

आवेदन प्रारम्भ की तिथि 14–07–2025
आवेदन की अन्तिम तिथि 13–08–2025

गौपालन से आपकी आय बढ़ेगी, आपका एवं आपके परिवार का भविष्य सुनहरा होगा!

2/7/25

मिशन निदेशक,
नन्द बाबा दुग्ध मिशन।